

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 83
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर/अरवल ।

पटना, दिनांक :- 4.10.16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26
-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103) के
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में
चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर
से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	समस्तीपुर	03	15000	श्रम अधी०, समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक- 22.08.16 के आलोक में (19.08.16 को विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए)
2	तद्व	अरवल	03	15000	श्रम अधी०, अरवल के पत्रांक 63 दिनांक- 09.09.16 के आलोक में ।
कुल योग			06	30000	

कुल आवंटित राशि रूपये तीस हजार मात्र ।

- मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 83

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(गोपाल मीणा)